बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 274

पूंजी से परवाज नहीं

सरकार ने अपने नियंत्रण वाली एयरलाइन एयर इंडिया में नई जान फूंकने के लिए एक और योजना तैयार की है। पिछले साल की बड़ी नाकामी के बाद एयर इंडिया को खरीदारों के बीच आकर्षण बढ़ाने के लिए अपना प्रदर्शन सुधारने की जरूरत है। लेकिन सरकार के पास स्वामित्व रहने तक इसका मुनाफा कमाने एवं उत्पादकता के मामले में निजी क्षेत्र के मानकों तक पहुंच पाना मुश्किल है। हालांकि ऐसा प्रयास की कमी के कारण नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि एयर इंडिया अपने प्रमुख पदों पर भर्ती के लिए पेशेवरों की वैश्विक स्तर पर तलाश कर रहा है। कुछ दिन पहले एयरलाइन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ने भी एक लेख में अपने 20,000 कर्मचारियों से कमर कसने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था, 'हम सभी को चुस्ती दिखानी है, सशक्त राजकोषीय अनुशासन अपनाना है और अपनी परिचालन सक्षमता से कोई समझौता किए बगैर अपना कामकाज दुरुस्त करना है। हमें खुद को बचाए रखने के लिए हरसंभव तरीके से राजस्व जुटाने की भी जरूरत है।' नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी एयर इंडिया की प्रमुख कारोबारी गतिविधियों के लिए 'अलग-अलग रणनीति' बनाने और 'जबरदस्त संगठनात्मक सुधारों' की बात कही है।

करदाताओं के पैसे पर चल रही एयरलाइन के लिए ये सामान्य लक्ष्य हैं। एयर इंडिया पर बकाया 55,000 करोड़ रुपये के ऋण का बोझ एक विशेष कंपनी पर डालने की योजना भी इसी श्रेणी में आती है। प्रश्न यह है कि क्या इस तरह का महत्त्वाकांक्षी एजेंडा पूरा किया जा सकता है? नब्बे के दशक में भारतीय विमानन क्षेत्र के दरवाजे निजी निवेश के लिए खोले जाने के बाद वैश्विक अनुभव रखने वाले मुख्य कार्याधिकारी भी भारतीय विमानन उद्योग का हिस्सा रहे हैं। मसलन, वॉल्फगांग प्रॉक-शाएर जेट एयरवेज और गोएयर के बाद इंडिगो से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पेशेवर वाणिज्यिक स्तर और प्रतिस्पर्द्धी रणनीति पर चलने वाली एयरलाइंस से ही जुड़ना पसंद चाहते हैं। इनमें से कई अधिकारियों ने एयरलाइन के मालिकों के रवैये के चलते इस्तीफा दे दिया। लेकिन एयर इंडिया का मामला अनूठा है। अगर एयर इंडिया पर सरकारी स्वामित्व बना रहता है तो इसकी संभावना कम ही है कि निजी क्षेत्र का कोई सक्षम पेशेवर इससे जुड़ना चाहेगा। बिक्री के बाद बचे हुए शेयर सरकार के पास रहने की संभावना ने ही पिछले साल एयर इंडिया के निजीकरण की कोशिशें नाकाम कर दी थीं। कर्मचारी संगठनों की सशक्त मौजूदगी, विरासत की कीमत और संस्कृति के साथ ही मंत्रियों एवं नौकरशाहों की स्वाभाविक पसंद होना भी इसके लिए बड़ी समस्या है। इन सब कारकों के मिले-जुले असर ने एयर इंडिया को बेहतर दिनों में भी मुनाफा नहीं कमाने दिया था।

एयर इंडिया ने वित्त वर्ष 2016-17 में 6,288 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाया था जबकि उस समय विमानन उद्योग का परिदृश्य बढ़िया था। मारुति उद्योग की तर्ज पर सार्वजनिक एवं निजी कंपनी के मिश्रित स्वामित्व के पैटर्न से भी परिचालन स्वायत्तता को लेकर निजी खरीदार का भरोसा जीत पाने की संभावना कम है। एयर इंडिया के लिए समस्या यह है कि उसे लागत कम करने और छंटनी जैसे कुछ सख्त वाणिज्यिक निर्णय लेने की जरूरत है जो कारोबारी जगत में स्वाभाविक माने जाते हैं। कोई निर्भीक निवेशक ही इतने बड़े सार्वजनिक उपक्रम में निवेश की मंशा जताएगा। वह भी ऐसे समय में जब तेल कीमतों के पूर्वानुमान निजी एयरलाइंस के भी सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं और जेट एयरवेज इसका प्रमुख उदाहरण है। लोकसभा चुनाव करीब आ जाने से इसकी संभावना कम है कि सरकार एयर इंडिया के बारे में कोई कठोर कदम उठाएगी। लेकिन अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की चुनौती से जूझने वाली नई सरकार के लिए एयर इंडिया में पूंजी डालना शायद ही विकल्प होगा।

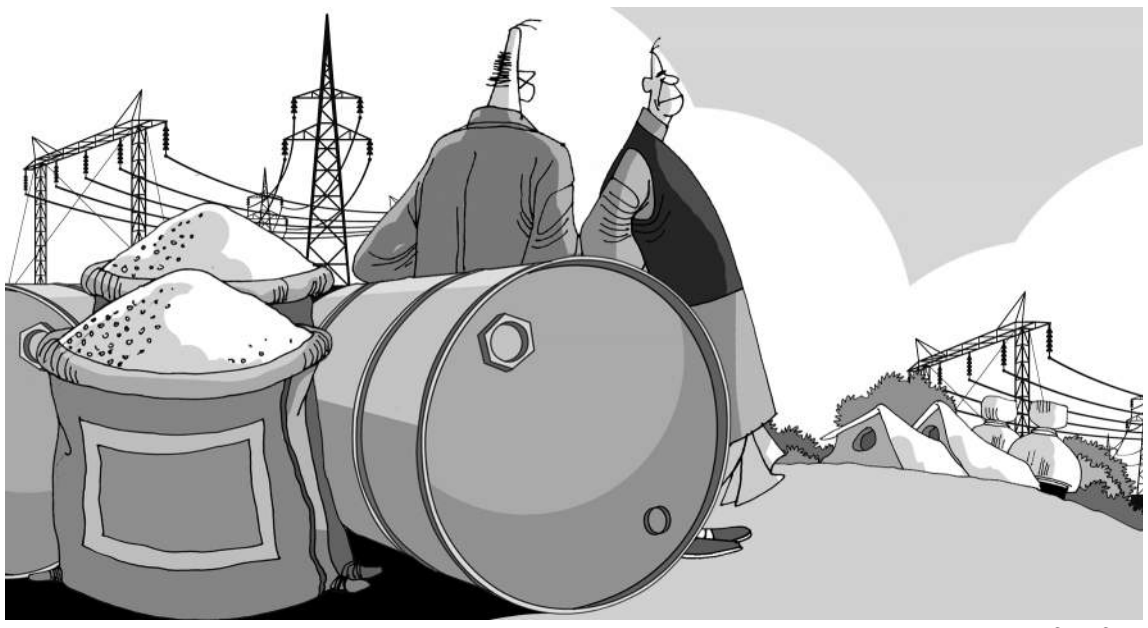

बिनय सिन्हा

टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए बड़ा मोलभाव

भारत को आर्थिक वृद्धि को टिकाऊ बनाने के लिए समानता एवं न्यायसंगतता पर भी ध्यान देना होगा। इस मोलभाव के लिए जन प्रतिनिधियों को भी तैयार रहना होगा। बता रहे हैं **अरुणाभ घोष**

भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी आर्थिक प्रगति के साथ समानता का संतुलन साधने की कोशिश करता रहा है। राजनीतिक दल आगामी आम चुनावों की तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में अपने संभावित प्रतिनिधियों से हमारा सवाल है: आर्थिक वृद्धि तेज करने, रोजगार सृजन और अवसर बढ़ाने के साथ क्या हम इसे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय रूप से सतत और वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए न्यायसंगत भी बना सकते हैं?

हमारे अंतर्विरोधों के मूल में यही प्रश्न है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी चौथे स्थान पर है, तीव्र शहरीकरण के साथ वायु गुणवत्ता बेहद खराब हुई है और जल संकट भी बढ़ा है। विनिर्माण की आकांक्षा भी ध्वस्त हो रही है क्योंकि हम तमाम तकनीकी मोर्चों पर पिछड़ रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश की व्यापक संभावनाएं जोखिम की अनवरत धारणा की चपेट में हैं।

टिकाऊ विकास का मुद्दा हमारे राजनीतिक एजेंडे, नीतिगत प्रतिक्रिया, औद्योगिक गतिविधियों, उपभोक्ताओं की पसंद या नागरिकों की मांग में अनवरत शामिल नहीं रहा है। ऐसे में एक नए तरह का जबरदस्त मोलभाव करना जरूरी है: वृद्धि के नए वाहक के तौर पर संपोषणीयता पर दांव लगाइए और उसके बदले में संसाधनों एवं बाह्य जगत की कीमत तय करने एवं उन पर रियायत देने के नए तरीके खोजने होंगे।

इस बड़े मोलभाव का दूसरा पक्ष दुनियावी चीजों पर कर लगाएगा लेकिन साम्यता संबंधी आग्रहों से सहमत नहीं होगा। जहां अतिविषम घटनाओं से पर्यावरणीय अधोगति, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव या ढांचागत नुकसान होता है, वहीं आर्थिक गतिविधियों की सामाजिक लागत काफी बड़ी होती है। प्रदूषण फैलाने वालों को कीमत चुकानी चाहिए और निम्न पर्यावरणीय फुटप्रिंट वाले उत्पाद एवं सेवाएं लेने वाले उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी चाहिए।

वर्ष 2017 तक स्वच्छ पर्यावरण उपकर के रूप में 400 रुपये प्रति टन कोयले के हिसाब से राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण कोष में जमा होती थी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद इसकी जगह जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर ने ले ली है जिससे राज्यों को कर राजस्व में हुई क्षति की भरपाई होती है। क्या इन संसाधनों का गलत आवंटन होगा या वे टिकाऊ एवं न्यायसंगत वृद्धि को बल दे पाएंगे?

सीईईडब्ल्यू और अंतरराष्ट्रीय सतत विकास संस्थान का नवीनतम शोध बताता है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए सब्सिडी 2014 से छह गुना बढ़ी है लेकिन तेल, गैस एवं कोयला आधारित ऊर्जा को 2016-17 में नवीकरणीय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में तिगुनी सब्सिडी मिली।

समानता से हासिल होने वाले नतीजे लक्षित कर एवं सब्सिडी को बेहतर कर सकते हैं। 'गिवइट अप' अभियान के तहत 1 करोड़ परिवारों ने एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी अपनी इच्छा से छोड़ी लेकिन यह संख्या चालू गैस कनेक्शनों के 5 फीसदी से भी कम है। आय-संबंधी शर्तों के चलते एलपीजी सब्सिडी से बाहर किए गए लोग सक्रिय कनेक्शनों के महज एक फीसदी हैं। संपन्न परिवार बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ अब तक उठा रहे हैं।

केरोसिन सब्सिडी में किए गए सुधार दिखाते हैं कि समानता एवं स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बहाल करने से पूरक उद्देश्य पूरा होते हैं। ऊर्जा पहुंच को मिले प्रोत्साहन ने केरोसिन पर होने वाली अंडर-रिकवरी को वर्ष 2013-14 के बाद से 75 फीसदी तक कम कर दिया है। वैसे केरोसिन रोशनी के लिए अब भी 20 फीसदी ग्रामीण परिवारों का स्रोत बना हुआ है। सीईईडब्ल्यू सर्वे के दौरान 84 फीसदी परिवारों ने बताया कि वे केरोसिन पर कम सब्सिडी के बदले में सौर लालटेन पर सब्सिडी लेना अधिक पसंद करेंगे। यह तथ्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ उनके झुकाव को इंगित करता है।

फ्रांस में ईंधन कर को लेकर फैले हालिया दंगे बताते हैं कि ऊर्जा एवं आर्थिक बदलाव कम विकल्पों वाले वंचितों पर अधिक भार नहीं डाल सकते हैं। नागरिकों को भी यह समझने की जरूरत है कि कार्बन टैक्स या ईंधन उपकर का इस्तेमाल किसलिए होता है और उनसे किन लाभों की अपेक्षा की जा सकती है? टिकाऊ नीतियों में समानता को समाहित करने की जरूरत है। क्या हमारी राजनीति इतना बड़ा मोलभाव कर पाएगी?

(लेखक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर के मुख्य कार्याधिकारी हैं)

संसाधन सक्षमता में मौके का फायदा उठाने के लिए भविष्य के उद्योगों, आकांक्षा स्तर बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में पुनर्विचार की जरूरत है। भारत अपने सभी नागरिकों तक ऊर्जा पहुंचाने और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर महत्त्वाकांक्षी रहा है। नवीकरणीय बिजली की उत्पादन क्षमता 72,000 मेगावाट से अधिक है और अकेले सौर बिजली की क्षमता 24,000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2015 से अब तक 11.8 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है और 16 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन भी मिले हैं।

फिर भी ऐसी आकांक्षा का दायरा सीमित है। अगर अगले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में 2.5-2.8 लाख करोड़ डॉलर की वृद्धि हो जाती है तो इस बढ़ोतरी का एक-तिहाई हिस्सा इस पर निर्भर करेगा कि भारत अपना कार्बन उपभोग कितना कम करता है और संसाधन- सक्षम वृद्धि को किस हद तक अपनाता है?

सीईईडब्ल्यू के इस अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2050 तक भारत के कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में बिजली एवं उद्योग जगत की हिस्सेदारी क्रमश: 40 और 32 फीसदी तक पहुंच जाएगी। बिजली क्षेत्र में नवीकरणीय संसाधनों का हिस्सा बढ़ने से औद्योगिक उत्सर्जन अहम बना रहेगा। वैश्विक तापन को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का एक रास्ता औद्योगिक ईंधन मिश्रण में बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 55 फीसदी पहुंचाना भी है। फिलहाल इसकी हिस्सेदारी 20 फीसदी से भी कम है।

लेकिन ऊर्जा की अधिक जरूरत वाले विनिर्माण क्षेत्र के लिए हम इतनी बिजली कहां से लाएंगे? सीईईडब्ल्यू और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) यह परीक्षण कर रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा से मिला हाइड्रोजन क्या स्टील उत्पादन के लिए एक विकल्प हो सकता है? प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि इसका परिचालन व्यय मौजूदा तकनीकों के समान ही है लेकिन प्रति टन स्टील उत्पादन पर पूंजी व्यय परंपरागत प्रक्रिया की तुलना में तिगुना अधिक है।

संसाधनों का कम इस्तेमाल करते हुए औद्योगिक विकास करना मूल्य वृद्धि एवं नए बाजार बनाने के नए तरीके अपनाने में केंद्रीय भूमिका में होगा। हमें तकनीकों, संस्थानों और लोगों पर बड़े दांव लगाने की जरूरत है। सीमित संसाधनों के मद्देनजर यह समझने लायक है कि उन्नत लेकिन बिना जांची-परखी तकनीकों में संरक्षणवाद अंतर्निहित हो सकता है। मसलन, स्टील, मेथेनॉल या अमोनिया के लिए 'हरित हाइड्रोजन' को अपनाने के लिए स्पष्ट नीतिगत निर्देशों की जरूरत होगी। लेकिन हमें निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन के भी मिश्रण में समानता को सुनिश्चित कीजिए।

संशोधित अनुमानों ने कैसे पाटा सरकार का घाटा

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

केंद्रीय बजटों का आकलन इस बात से किया जाता है कि आगामी वर्ष के लिए उनमें क्या अनुमान लगाए गए हैं और मौजूदा वर्ष के अनुमानों में कितनी फिसलन रही या कितना सुधार हुआ। इसलिए अगले महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट का इस आधार पर आकलन किया जाएगा कि 2019-20 के लिए उसमें क्या अनुमान लगाए गए हैं और 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान क्या हैं। संशोधित आंकड़े या संशोधित अनुमानों से ही पता चलेगा कि पिछले साल फरवरी में घोषित 2018-19 के बजट अनुमानों की क्या स्थिति है।

अलबत्ता हर साल केंद्र सरकार के बजट में वास्तविक आंकड़े भी पेश किए जाते हैं जो उस साल से पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े होते हैं जब बजट पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए 2017-18 के वास्तविक आंकड़े फरवरी 2019 में 2018-19 के बजट और संशोधित अनुमानों तथा 2019-20 के बजट अनुमानों के साथ उपलब्ध होंगे। इसलिए मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के आंकड़ों और अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमान के आंकड़ों पर चर्चा होगी और पिछले साल के वास्तविक आंकड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यह एक गलती है। पिछले साल के वास्तविक आंकड़ों को नजरअंदाज करना और उनका मूल बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के आंकड़ों के साथ अंतर का विश्लेषण नहीं करने से बजट विश्लेषण की गुणवत्ता कमजोर हो सकती है।

वास्तविक आंकड़ों का इसलिए विश्लेषण नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें एक साल बीतने के बाद ही तुलनात्मक प्रारूप में पेश किया जाता है। मौजूदा वर्ष और आने वाले साल पर ध्यान केंद्रित करने की तत्परता और प्राथमिकता इतनी अधिक होती है कि भारत में सार्वजनिक वित्त विश्लेषण प्रभावित होता है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 के संभावित वास्तविक आंकड़ों के विश्लेषण से कुछ दिलचस्प रुझानों का खुलासा होता है और पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल राजस्व और खर्च को कैसे संभाला।

यह खुलासा राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटे के आंकड़े नहीं हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान और वास्तविक आंकड़ों में सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 फीसदी रहा। राजस्व घाटा भी दोनों अनुमानों के तहत जीडीपी का 2.6 फीसदी रहा। अलबत्ता राजस्व और खर्च में भारी अंतर देखने को मिलता है। राजस्व लक्ष्य से कम दिख रहा है जिसकी भरपाई खर्च में कटौती से की गई है।

2017-18 के संशोधित अनुमानों में केंद्र के कर राजस्व के 12.69 लाख करोड़ रुपये रहने का लक्ष्य रखा गया था जो 2016-17 के वास्तविक आंकड़ों से 15 फीसदी अधिक है। लेकिन सीजीए के आंकड़ों के 2017-18 के वास्तविक आंकड़ों में यह 12.43 लाख करोड़ रुपये रहा जो संशोधित अनुमानों से करीब 26,800 करोड़ रुपये कम है। दूसरे शब्दों में कहें तो 2017-18 में वास्तविक आंकड़ों के मुताबिक केंद्र का कर राजस्व 2016-17 के वास्तविक आंकड़ों से 13 फीसदी ही अधिक रहेगा।

गैर कर राजस्व में अंतर ज्यादा बड़ा है। सीजीए के वास्तविक आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में गैर कर राजस्व 1.92 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले साल के संशोधित अनुमानों से 43,450 करोड़ रुपये या 18 फीसदी कम है। जब जेटली ने पिछले साल फरवरी में बजट पेश किया तो 2017-18 के संशोधित अनुमानों के मुताबिक गैर कर राजस्व 2016-17 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 13 फीसदी घटकर 2.35 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। दो वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर यह कमी करीब 29 फीसदी है। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश और लाभ के तौर पर मिले राजस्व, ब्याज प्राप्ति और दूरसंचार स्पेक्ट्रम सहित कई सरकारी सेवाओं से मिली फीस में यह बात परिलक्षित होती है।

वास्तविक आंकड़ों के मुताबिक पूंजी प्राप्तियों के तहत ऋण वसूली में भी मामूली गिरावट आई है और 2017-18 के दौरान कुल राजस्व (उधारी के बिना) 16.23 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 71,900 करोड़ रुपये कम रहेगा।

अगर फिर भी सरकार संशोधित अनुमानों में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अपने राजकोषीय और राजस्व घाटे को संभालने में सफल रही, तो इसकी वजह यह है कि 2017-18 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार खर्च में 22.18 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 75,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई। इनमें से राजस्व खर्च में 65,000 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च में 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई।

इससे तीन सवाल खड़े होते हैं। पहला यह कि राजस्व संग्रह के अंतिम आंकड़ों में इतना अंतर कैसे आया? वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने 1 फरवरी, 2018 को गैर ऋण राजस्व प्राप्तियों के बारे में कुछ निश्चित आंकड़े दिए। लेकिन साल का लेखाजोखा बंद करने के समय राजस्व प्राप्तियों में करीब आठ फीसदी की गिरावट दिख रही है। क्या यह संसद में पेश संशोधित अनुमान के आंकड़ों का मजाक नहीं है?

दूसरा सवाल खर्च अनुमान में संशोधन कर इसे कम करने से जुड़ा हुआ है। केवल दो महीने में ही वित्त मंत्रालय संशोधित अनुमान के आंकड़ों में तीन फीसदी की कटौती करने में सफल रहा। संभव है कि केंद्रीय मंत्रालयों की खराब अवशोषण क्षमता से मदद मिली हो, लेकिन पूंजीगत खर्च में कमी परेशान करने वाली है।

अंतिम सवाल यह है कि अगर 2017-18 के वास्तविक आंकड़ों के जारी होने पर संशोधित अनुमान के आंकड़ों में भारी फेरबदल किया जा सकता है तो फिर 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट के संशोधित अनुमानों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? ऐसा लगता है कि संशोधित अनुमान के आंकड़े वित्त मंत्रालय को घाटे को अपने ढंग से पाटने के लिए मरहम देते हैं।

कानाफूसी

कागज के जहाज

लोकसभा में बुधवार को कार्यवाही के दौरान सदन की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम लेने से रोक दिया, क्योंकि अंबानी सदन के सदस्य नहीं हैं। राहुल ने अध्यक्ष की बात का सम्मान किया और वह अंबानी को 'डबल ए' कहकर संबोधित करने लगे। अपने जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसी तरह की शब्दावली का उपयोग करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व 'मिस्टर क्यू' की गोदी में बैठा हुआ था। अनुमान लगाया गया कि यह ओतावियो क्वात्रोची के लिए कहा गया जो कभी बोफोर्स जांच मामले में आरोपी थे। कांग्रेस सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए और सत्ता पक्ष की ओर कागज से बने जहाज उड़ाने लगे। जेटली ने कहा कि कांग्रेस सदस्य राफेल के साथ खरीद की दौड़ में शामिल यूरोफाइटर टायफून की याद में कागज से बने जहाज उड़ा

यादें पुरानी

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को 2019 के लिए राज्यसभा का कैलेंडर जारी किया। इसमें वर्ष 1952 में उच्च सदन की स्थापना के बाद से 13 पूर्व सभापति, 12 पूर्व उपसभापति, सदन के 26 नेता और सदन में विपक्ष के 14 नेताओं समेत कुल 65 नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं। कैलेंडर में बताया गया कि सदन के 66 साल के इतिहास में कुल 34 सालों तक राज्यसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। दिसंबर 1969 से मार्च 1971 के दौरान कांग्रेस-ओ के श्याम नंदन मिश्रा राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता बनाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में सबसे अधिक समय तक सदन के नेता और विपक्ष के नेता के पद पर रहे। उन्होंने 10 वर्ष तक सदन के नेता और छह वर्ष तक विपक्ष के नेता के तौर पर कामकाज संभाला।

आपका पक्ष

बाल यौन हिंसा पर अंकुश जरूरी

बाल यौन अपराध के लिए कानून में कठोर सजा के प्रावधानों और बच्चों की अश्लील फिल्मों तथा दूसरी सामग्री की उपलब्धता पर कठोरता से अंकुश लगाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। केंद्र सरकार ने बाल यौन अपराध सुरक्षा कानून 2012 में संशोधन कर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान कर दिया है। दूसरी ओर शीर्ष अदालत भी लंबे समय से बच्चों के साथ अश्लील कृत्य, यौन अपराध और पोर्नोग्राफी पर चिंता व्यक्त कर चुकी है। शीर्ष अदालत ने 2015 में एक गैर सरकारी संगठन प्रज्वला की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इंटरनेट पर बच्चों से संबंधित पोर्न साइट पर अंकुश लगाने के लिए कारगर तरीका अपनाने को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बहरहाल काफी समय बाद केंद्र सरकार ने 3,522 अश्लील वेबसाइटों को बंद किया है। केंद्र

सरकार ने बाल यौन हिंसा से जुड़े कानून में संशोधन कर कड़ी सजा का प्रावधान किया है

यौन हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के इरादे से इस कानून में कई संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसमें बच्चों के यौन शोषण के अपराध के लिए मौत की सजा और बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री इंटरनेट पर डालने के अपराध में मौत की सजा जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही मे पॉक्सो कानून में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इंटरनेट के माध्यम से भी बच्चों के यौन शोषण को रोकने के इरादे से पॉक्सो कानून में कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून में संशोधन करके ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा करना ही पर्याप्त है? दिल्ली में दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ था। इसके बाद सजा को अत्यधिक कठोर बनाया गया लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ मौत की सजा पर अमल नहीं हुआ। बच्चों के यौन शोषण और 12 साल के कम उम्र के बच्चियों के साथ बलात्कार के आरोप में सजा देने और इस पर अमल करने की समूची कानून व्यवस्था एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा करने के प्रावधान की आवश्यकता है। इस तरह के निश्चित अवधि के अभाव में कठोर सजा का प्रावधान भी बेमानी लगता है। कानून में निर्धारित समय सीमा में भले जांच एजेंसी मामला अदालत में दायर कर दे और निचली अदालत निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे मुकदमे में फैसला भी सुना दे लेकिन इसके बाद दोषियों के पास शीर्ष न्यायालय में अपील करने का समय होता है। उम्मीद है कि इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

अभिजीत मेहरा, ईमेल से

देश में हड़ताल की नौबत न आए

आए दिन कभी बैंकों में तो कभी डॉक्टरों की और कभी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल होती रहती है। इससे विकास की गति में बाधा तो आती ही है लेकिन इससे आम लोगों की भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इससे सरकार की छवि को भी काफी नुकसान होता है। अत: जरूरी है कि सरकार के समक्ष कोई भी समस्या आए तो पहले उसका समाधान करने के लिए संबंधित संगठनों से विचार-विमर्श करना चाहिए। सरकार और संगठनों के बीच बातचीत होगी तो हड़ताल की नौबत नहीं आएगी और पहले से परेशान लोग हड़ताल की वजह से और परेशान नहीं होंगे।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in